उत्तराखण्ड शासन

सूचना अनुभाग

संख्याः 88 /XXII /01 (01)/2010

देहरादून : दिनांक 22 जनवरी, 2010

अधिसूचना संख्याः 87/XXII /01 (01)/2010 दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (सशोधन) नियमावली, 2010 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड ।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार ।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
11. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को नियमावली की हिन्दी प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया नियमावली को असाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियॉ सूचना अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
संख्या– 87/xxiii/2010/01(17)/10
देहरादून दिनांक 22, जनवरी, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके 'उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006' में अग्रतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा (संशोधन) नियमावली–2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

'उत्तरांचल' के स्थान पर 'उत्तराखण्ड' पढ़ा जाना 2. उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली–2006 में जहाँ– जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

नियम 5 में संशोधन 3. उत्तरांचल सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग राजपत्रित सेवा नियमावली, 2006 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

वर्तमान नियम स्तम्भ–1	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
5–भर्ती का स्रोत– –	5–भर्ती का स्रोत **(1) अपर निदेशक** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(1) संयुक्त निदेशक – मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशक में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो,चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति के द्वारा।	**(2) संयुक्त निदेशक** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Scanned by CamScanner

(2) **उप निदेशक** – मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों एवं सम्पादक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ,चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	(3) **उप निदेशक** – मौलिक रूप से नियुक्त सहायक निदेशकों एवं सहायक निदेशक, तकनीकी तथा सम्पादक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(3) **सहायक निदेशक/सहायक निदेशक (तकनीकी)**– मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी व फोटो फिल्म अधिकारी [सहायक निदेशक (तकनीकी)के लिए] में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(4) सहायक निदेशक– (क) 92 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सूचना अधिकारियों, जिला सूचना अधिकारियों एवं फीचर लेखक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा। (ख) 08 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे व्यवस्थाधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी में से, जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
	(5) **सहायक निदेशक (तकनीकी)**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे फोटो/फिल्म अधिकारी में से जिसने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(4) **सम्पादक**– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा	(6) **सम्पादक**– आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(5) **सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी**– (एक) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से आयोग के माध्यम से। (दो) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिसमें से : (क) 8 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वैयक्तिक सहायक/ऑफिस सेक्रेटरी एवं प्रशासनिक अधिकारी–1 में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इसरूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(7) **सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी**– (एक) पचास प्रतिशत पद सीधी भर्ती से आयोग के माध्यम से। (दो) पचास प्रतिशत पद आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, जिसमें से : (क) 08 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायकों/ऑफिस सेक्रेटरियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

Scanned by CamScanner

(ख) 12 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त अनुवादकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ख) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अनुवादकों एवं उप संपादकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
(ग) 80 प्रतिशत पद पर अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।	(ग) 72 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी– सूचना अधिकारियों का एकीकृत संवर्ग होगा, जिन्हें जनपदों में तैनात किये जाने पर जिला सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जायेगा।	**टिप्पणी–** सूचना अधिकारियों का एकीकृत संवर्ग होगा, जिन्हें जनपदों में तैनात किये जाने पर जिला सूचना अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जायेगा।
(6) **फोटो फिल्म अधिकारी–** मौलिक रूप से नियुक्त फोटोग्राफर व कैमरा मैन में से जिन्होंनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	(8) **फोटो फिल्म अधिकारी** – मौलिक रूप से नियुक्त फोटोग्राफर व कैमरा मैन में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
–	(9) **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी–** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
–	(10) **व्यवस्था अधिकारी** – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–1 में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, चयन समिति के माध्यम से, ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
–	(11) **फीचर लेखक** – आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

नियम 8 का संशोधन 4. मूल नियमावली के नियम 8 के प्रस्तर (2) के पश्चात प्रस्तर (3) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा ; अर्थात्–

Scanned by CamScanner

(3) फीचर लेखक (क) अनिवार्य अर्हताएं:

(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिन्दी के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।

(दो) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा अथवा स्नातक।

(ख) अधिमानी अर्हताएं:

(एक) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, पटकथा और फीचर लिखने का तीन वर्ष का अनुभव।

(दो) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संगीत/प्रकाशन–व्यवस्था/अभिनय/निर्देशन इत्यादि में डिप्लोमा।

नियम 15 का संशोधन 5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्–

वर्तमान नियम स्तम्भ–1	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम स्तम्भ–2
–	(क) अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति "उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002" में गठित चयन समिति के द्वारा की जायेगी।
संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नति निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी :–	(ख) संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं सहायक निदेशक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति निम्नानुसार गठिता चयन रामिति द्वारा की जायेगी :–
(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग उत्तरांचल शासन। – पदेन अध्यक्ष	(1) प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग उत्तराखण्ड शासन । – अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग उत्तरांचल शासन के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर के निम्न स्तर के न हो। – पदेन सदस्य	(2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव स्तर से निम्न स्तर का न हो। – सदस्य

Scanned by CamScanner

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव के निम्न स्तर के न हो ।

– पदेन सदस्य

(4) अपर सचिव/अधिशासी निदेशक सूचना विभाग।

– पदेन सदस्य सचिव

फोटो फिल्म अधिकारी की पदोन्नति समिति निम्नानुसार होगी

(1) महानिदेशक,सूचना,उत्तरांचल।

– पदेन अध्यक्ष

(2) अधिशासी निदेशक, सूचना।

– पदेन सदस्य

(3) उप निदेशक स्तर का एक अधिकारी

– पदेन सदस्य सचिव

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी

– पदेन सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठताक्रम/गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनके सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(3) चयन समिति द्वारा उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो।

–सदस्य

(4) निदेशक, सूचना विभाग।

– सदस्य

(ग) फोटो फिल्म अधिकारी, व्यवस्थाधिकारी तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की पदोन्नति समिति निम्नानुसार होगी

(1) महानिदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।

– अध्यक्ष

(2) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।

– सदस्य

(3) उप निदेशक स्तर का एक अधिकारी

– सदस्य

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी जो उप निदेशक से निम्न स्तर का न हो।

– सदस्य

"नोटः– पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009' के प्राविधान लागू होंगे।"

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ज्येष्ठताक्रम/गुणानुक्रम के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जायेगी, जो उचित समझे जायं।

(ङ) चयन समिति द्वारा उपनियम (घ) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जायेगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(च) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

(छ) आयोग की परिधि के पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया "उत्तरांचल लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003" के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

Scanned by CamScanner

नियम 21 का संशोधन 6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 21 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम 21(2) पदों के वेतनमान निम्नानुसार होंगे–			स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 21(2) इन नियमों के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत दिए गये हैं –			
क. सं.	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	क.सं.	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	ग्रेड वेतन (रु0 में)
			(1)	अपर निदेशक	37400–67000	8700
(1)	संयुक्त निदेशक	12000–375–16500	(2)	संयुक्त निदेशक	15600–39100	7600
(2)	उपनिदेशक	10000–325–15200	(3)	उप निदेशक	15600–39100	6600
(3)	सहायक निदेशक / सहायक निदेशक(तकनीकी)	8000–275–13500	(4)	सहायक निदेशक	15600–39100	5400
			(5)	सहायक निदेशक(तकनीकी)	15600–39100	5400
(4)	सम्पादक	8000–275–13500	(6)	सम्पादक	15600–39100	5400
(5)	सूचना अधिकारी	6500–200–10500	(7)	सूचना अधिकारी	9300–34800	4200
(6)	जिला सूचना अधिकारी	6500–200–10500	(8)	जिला सूचना अधिकारी	9300–34800	4200
(7)	फोटो फिल्म अधिकारी	6500–200–10500	(9)	फोटो फिल्म अधिकारी	9300–34800	4200
			(10)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200
			(11)	व्यवस्था अधिकारी	9300–34800	4200
			(12)	फीचर लेखक	9300–34800	4200

आज्ञा से,

(सुभाष कुमार)

प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट का संशोधन – 7.

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान परिशिष्ट के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा ; अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान परिशिष्ट				स्तम्भ–1 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट						
क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	पदों की संख्या	क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान (रु0 में)	ग्रेड वेतन (रु0 में)	स्थायी	अस्थायी	कुल योग
	–			(1)	अपर निदेशक	37400–67000	8700	–	01	01
(1)	संयुक्त निदेशक	12000–375–16500	01	(2)	संयुक्त निदेशक	15600–39100	7600	01	01	02
(2)	उपनिदेशक	10000–325–15200	02	(3)	उप निदेशक	15600–39100	6600	02	02	04
(3)	सहायक निदेशक	8000–275–13500	03	(4)	सहायक निदेशक	15600–39100	5400	03	04	07
(4)	सहायक निदेशक (तकनीकी)	8000–275–13500	01	(5)	सहायक निदेशक (तकनीकी)	15600–39100	5400	01	–	01
(5)	सम्पादक	8000–275–13500	01	(6)	सम्पादक	15600–39100	5400	–	01	01
(6)	सूचना अधिकारी	6500–200–10500	08	(7)	सूचना अधिकारी	9300–34800	4200	07	11	18
(7)	जिला सूचना अधिकारी	6500–200–10500	13	(8)	जिला सूचना अधिकारी	9300–34800	4200	13	–	13
(8)	फोटो फिल्म अधिकारी	6500–200–10500	01	(9)	फोटो फिल्म अधिकारी	9300–34800	4200	01	-	01
				(10)	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4200	–	01	01
				(11)	व्यवस्था अधिकारी	9300–34800	4200	–	01	01
				(12)	फीचर लेखक	9300–34800	4200	–	01	01

Scanned by CamScanner

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 87 /XXII/01(1)2009 dated- 22-1-2010 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
INFORMATION DEPARTMENT /SECTION

No. – 87/XXII/2010-01(01)/2010

Dehradun Dated....22 Jan. 2010

NOTIFICATION
Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttaranchal Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006:-

THE UTTARANKHAND INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT GAZETTED (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2010

Short Title and Commencement 1	(1)	These Rules may be called "The Uttarakhand Information and Public Relations Department Gazetted Service (Amendment) Rules, 2010"
	(2)	They shall come into force at once.
The Word 'Uttaranchal' to be read as 'Uttarakhand'	2.	The word 'Uttaranchal' wherever it occurs in The Uttaranchal Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006 shall be read as 'Uttarakhand'.
Amendment of Rule-5	3.	In the Uttaranchal Information and Public Relations Department Gazetted Service Rules, 2006 (herein after referred to as principal rule) for the existing rule 5 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule as hereby substituted
5-Source of Recruitment-	**5-Source of Recruitment-** **(1) Additional Director-** By promotion on the basis of merit through Selection Committee from amongst substantively appointed Joint Directors, who have completed two years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Scanned by CamScanner

(1) **Joint Director-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Director who have completed One year service as such on the first day of the year of recruitment.

(2) **Deputy Director-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Assistant Director & Editor, who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) **Assistant Director/ Assistant Director (Technical)-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed information officer, Distt. Information Officer and Photo/Film Officer { for Assistant Director (Technical)} who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(4) **Editor-** By direct recruitment through the commission.

(2) **Joint Director-** By promotion through Selection Committee, on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed Two years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) **Deputy Director-** By promotion through Selection Committee, on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Assistant Directors, Assistant Director (Tech.)& Editor, who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(4) **Assistant Director-**

(a) 92% By promotion through Selection Committee on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Information Officers, District Information Officers, & Script Writers, who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(b) 8% By promotion through Selection Committee, on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Management Officers, & Senior Administrative Officers, who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(5) **Assistant Director (Technical)-** By promotion through Selection Committee on the basis of seniority, subject to rejection of unfit from amongst substantively appointed Photo /Film Officers, who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(6) **Editor-** By direct recruitment through the Commission.

Scanned by CamScanner

(5) **Information Officer/ District Information Officer-**

(i) 50 percent posts by direct recruitment through the Commission.

(ii) 50 Percent posts by Promotion through the Commission out of which:

(a) 08 percent posts from amongst substantively appointed Personnel Assistant/ Office Secretary and Administrative Officer-I who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(b) 12 percent posts from amongst substantively appointed Translators who have completed seven years service as such on the First day of the year of recruitment.

(c) 80 percent posts from amongst substantively appointed Additional District Information Officers, who have completed Five years service as such on the first day of the year of recruitment.

Note:- Information Officer and District Information Officer is a single cadre and when Information Officer shall be appointed in the district, he will be posted as District Information Officer.

(6) **Photo Film Officer-** By promotion through the Department Selection Committee from amongst substantively appointed Photographers and Cameramen, who have completed Three years service as such on the first day of the year of recruitment.

(7) **Information Officer/ District Information Officer-**

(i) 50 percent posts by Direct Recruitment through the Commission.

(ii) 50 Percent posts by promotion through the Commission out of which:

(a) 08 percent posts on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed as Personnel Assistants/Office Secretary who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(b) 20 percent posts on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Translators & Sub Editors, who have completed Seven years Service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(c) 72 percent posts on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Additional District Information Officers, who have completed Ten years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Note:- Information Officer and District Information Officer is a single cadre and The Information Officer appointed in the district, shall be designated as District Information Officer.

(8) **Photo Film Officer-** By promotion through the Department Selection Committee from amongst substantively appointed Photographers and Cameramen, who have completed Three years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(9) **Senior Administrative Officer-** By promotion through the Selection Committee, on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Administrative Officers Grade-I, who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Scanned by CamScanner

(10) **Management Officer-** By promotion through the Selection Committee, on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed Administrative Officers Grade-1 who have completed Five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.

(11) **Script Writer-** By direct recruitment through the Public Service Commission.

Amendment of Rule 8

4. In the principal rules, para (3) shall be inserted after para (2) of Rule 8 as follows, namely-

(3) Script Writer

(a) **Essential qualifications:**

(i) Bachelor's Degree with Hindi as one of the subjects from a university established by law in India or a degree recognized by the government as equivalent thereto.

(ii) Diploma or Bachelor's Degree in Journalism from a university established by law in India or any institution recognized by the government as equivalent there to.

(b) Preferential qualifications:

(i) Three Years experience of writing articles, scripts and features in the newspapers and magazines.

(ii) Diploma in Music/Lighting Arrangements/ Acting/ Direction etc. from any institute recognized by the Government.

Amendment of Rule 15

5. In the principal rules, for the existing rule 15 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing Rule**		**Column-2** **Rule as hereby substituted**
	(a)	"Promotion to the post of Additional Director shall be made through the Selection Committee constituted under the " Uttranchal Constitution of Departmental Promotion Committee (For the Posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002."

Scanned by CamScanner

(a) Promotion shall be made on the post of Joint Director, Deputy Director & Assistant Director by the constituted Selection Committee as follows:-	(b) Promotion shall be made to the post of Joint Director, Deputy Director, Assistant Director & Assistant Director (Technical) by the Selection Committee constituted as belows ;
(1) Principal Secretary/ Secretary, Information Department, Government of Uttranchal -Ex Officio Chairman	(1) Principal Secretary/ Secretary, Information Department, Govt. of Uttarakhand -Chairman.
(2) Representative of Principal Secretary/ Secretary, Personnel Department Government of Uttranchal not below the rank of Joint Secretary. -Ex Officio Member	(2) Representative of Principal Secretary/ Secretary, Personnel Department not below the rank of Joint Secretary –Member.
(3) An Officer from SC/ST not below the rank of Joint Secretary. -Member	(3) An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Joint Secretary. -Member.
(4) Additional Secretary and Executive Director, Information Department –Ex Officio Member Secretary	(4) Director, Information Department – Member
For promotion to the post of Photo Film Officer, Departmental Promotion Committee will be constituted as below:-	(c) For promotion to the post of Photo Film Officer, Management Officer and Senior Administrative Officer, shall be made by the Departmental Promotion Committee constituted as below ;
(1) Director General, Information, Govt of Uttranchal. -Ex Officio Chairman	(1) Director General, Information Department, Govt. of Uttarakhand - Chairman
(2) Executive Director, Information, Uttranchal -Ex Officio Member	(2) Director, Information Department. - Member
(3) A Deputy Director, Information -Ex Officio Member Secretary.	(3) An Officer not below the rank of Deputy Director. -Member
(4) An Officer from Scheduled Casts/ Scheduled Tribes. -Member	(4) An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Deputy Director. -Member
	Note:- For the promotions, provisions of the "Uttarakhand Promotion by Selection (For the posts Outside the Purview of the Public Service Commission) Procedure Rules, 2009, on the basis of 'Seniority subject to rejection of unfit' and 'Merit' shall apply.
(2) The Appointing Authority will prepare a list of qualified persons on the basis of their seniority/ qualifications and will put up before the Selection Committee with character roles and all other relevant documents deemed fit.	(2) The Appointing Authority shall prepare a list of the eligible candidates on the basis of their seniority, merit and shall put up before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaning to them as may be considered proper.

Scanned by CamScanner

(3) Selection Committee shall consider on the promotion of the personnels on the basis of documents mentioned in sub-rule (2) and if feel necessary, may take interviews.

(4) A list on the basis of seniority of selected persons shall be prepared by the Selection Committee and shall be submitted to appointing authority.

(3) Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) and if considers necessary, it may take interviews of the candidates also.

(4) A list on the basis of seniority of selected persons shall be prepared by the Selection Committee and shall be submitted to the Appointing Authority.

(5) For the posts within the purview of the Public Service Commission, promotion shall be made in accordance with the previsions of the "Uttaranchal Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003."

Amendment of Rule 21

6. In the principal Rules, for the existing sub-rule (2) of rule 21 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 **Existing sub-Rule** 21(2) The Scales of Pay are given as follows-			**Column-2** **Rule as hereby substituted** 21(2) The Scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows-			
S. N	**Name of Post**	**Pay Scale (Rs.)**	**S. N.**	**Designaton**	**Pay Scale (Rs.)**	**Grade Pay (Rs.)**
1	2	3	4	5	6	7
			(1)	Additional Director	37400-67000	8700
(1)	Joint Director	12000-375-16500	(2)	Joint Director	15600-39100	7600
(2)	Deputy Director	10000-325-15200	(3)	Deputy Director	15600-39100	6600
(3)	Assistant Director/ Assistant Director (Tech.)	8000-275-13500	(4)	Assistant Director	15600-39100	5400
			(5)	Assistant Director (Tech.)	15600-39100	5400
(4)	Editor	8000-275-13500	(6)	Editor	15600-39100	5400
(5)	Information Officer	6500-200-10500	(7)	Information Officer	9300-34800	4200
(6)	Distt. Information Officer	6500-200-10500	(8)	Distt. Information Officer	9300-34800	4200
(7)	Photo Film Officer	6500-200-10500	(9)	Photo Film Officer	9300-34800	4200
			(10)	Senior Administrative Officer	9300-34800	4200
			(11)	Management Officer	9300-34800	4200
			(12)	Script Writer	9300-34800	4200

By order,

(Subhash Kumar)
Principal Secretary.

Scanned by CamScanner

Amendment of Appendix **7.** In the principal rules, for the existing appendix set out in column-1 below the Appendix as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 Existing Appendix				**Column-2 Appendix as hereby substituted**						
S. N.	**Name of Post**	**Pay Scale (Rs.)**	**No. of Post**	**S. N.**	**Designation**	**Pay Scale (Rs.)**	**Grade Pay (Rs.)**	**Permanent**	**Temporary**	**Total**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(1)	Additional Director	37400-67000	8700	-	1	1
(1)	Joint Director	12000-375-16500	01	(2)	Joint Director	15600-39100	7600	1	1	2
(2)	Deputy Director	10000-325-15200	02	(3)	Deputy Director	15600-39100	6600	2	2	4
(3)	Assistant Director	8000-275-13500	03	(4)	Assistant Director	15600-39100	5400	3	4	7
(4)	Assistant Director (Tech.)	8000-275-13500	01	(5)	Assistant Director (Tech.)	15600-39100	5400	1	-	1
(5)	Editor	8000-275-13500	01	(6)	Editor	15600-39100	5400	-	1	1
(6)	Information Officer	6500-200-10500	08	(7)	Information Officer	9300-34800	4200	07	11	18
(7)	Distt. Information Officer	6500-200-10500	13	(8)	Distt. Information Officer	9300-34800	4200	13	-	13
(8)	Photo Film Officer	6500-200-10500	01	(9)	Photo Film Officer	9300-34800	4200	1	-	1
				(10)	Senior Administrative Officer	9300-34800	4200	-	1	1
				(11)	Management Officer	9300-34800	4200	-	1	1
				(12)	Script Writer	9300-34800	4200	-	1	1

Scanned by CamScanner